

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत0प्रार्थना संख्या 31/2016

सन् 2016

जीसीएमएस संख्या 2016/00351

बउनवानी:-सवाईमाधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सवाईमाधोपुर जरिये सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. श्री ओकारं पुत्र हरिकिशन जाति मीना निवासी डूंगर तह0 खण्डार (मृतक)
 - 1/1. रामजीलाल पुत्र ओंकार जाति मीना निवासी डूंगरी तह0 खण्डार
 - 1/2. अमृतलाल पुत्र ओंकार जाति मीना निवासी डूंगरी तह0 खण्डार
 - 1/3. शिवलाल पुत्र ओंकार जाति मीना निवासी डूंगरी तह0 खण्डार
 - 1/4. मनराज पुत्र रामनाथ दत्तक पुत्र रामफूल मीना नि0 डूंगरी तह0 खण्डार

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज0 सह सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक के रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष मे अन्तरित करने बाबत)

उपस्थित :-श्री कमल सिंह गुर्जर

वकील भूमि विकास बैंक(प्रार्थी)

—: निर्णय :- दिनांक 25.2.2026

प्रार्थना पत्र सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर जरिये भूमि विकास बैंक द्वारा पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थी बैंक से लिया गया ऋण अप्रार्थी द्वारा बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं किया है तथा अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि जो कि बैंक के रहन है, को बैंक द्वारा निलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकी है इसलिए अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि को बैंक के नाम अन्तरण करने हेतु राज0 सह. सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व 99 के तहत आदेश जारी किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस में जमा कराने व नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और ना ही बैंक की बकाया राशि जमा करवायी गयी। तत्पश्चात बहस वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर सुनी गयी।

वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा कथन किया कि अप्रार्थी की बैंक में बन्धकित सम्पत्ति (ग्राम डूंगरी पटवार डूंगरी तहसील खण्डार की आराजी ख0न0 968मि.968,604,726,727,731,732,851,926,469,501,542,619,179,251,264,292,319,390, 460,466,468,470,541,586,728 कुल किता 26 जमाबन्दी में हिस्सानुसार को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा जरिये निलामी की गयी किन्तु निलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। रहन पत्र के अनुसार 339250/-रु अप्रार्थी द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया जिसकी अदायगी उसके द्वारा समय पर नहीं की गयी है और ऋणी के उपर 383283/-रु बैंक को लेना वाजिब निकलती है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 248142/-रु ब्याज 111789+23352/-रु कुल राशि 383283/-रु एवं तत्पश्चात दिनांक 30.6.2015 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया राशि 383283/-रु व अवधिपार बकाया असल 339250 /-रु ब्याज 213564/-रु दण्डनीय ब्याज 49785/-रु एवं वसूली व्यय 0/-रु

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सहित कुल 602599/-रु वाजिब लेना बाकी निकल रही है जिसको प्राप्त करने का प्रार्थी बैंक को अधिकार है। उक्त राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिए विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गयी भूमि या उसका भाग सोसायटी (बैंक) को अन्तरित करने हेतु बैंक के प्रशासक (उप जिला कलेक्टर) द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 11.03.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ सवाईमाधोपुर द्वारा अनुमोदन कर अप्रार्थी की बैंक के पक्ष में रहन भूमि जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है उस भूमि का बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंका की है। अतः अप्रार्थी की उक्त भूमि जो भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार के बन्धक है को उक्त बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत वकील भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर ने निवेदन किया है।

वकील भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी द्वारा भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार की बकाया ऋण राशि रु 602599/-रु जमा नहीं करवायी गयी है तथा अप्रार्थी की बैंक में बन्धकित सम्पति (ग्राम डूंगरी पटवार डूंगरी तहसील खण्डार की आराजी ख०न० 968मि.968,604,726, 727,731,732,851,926,469,501,542,619,179,251,264,292,319,390,460,466,468,470,541, 586,728 कुल कित्ता 26 जमाबन्दी में हिस्सानुसार को जरिये निलामी 3 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गयी किन्तु क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पति बेची नहीं जा सकी है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बैंक की उक्त राशि 30 दिवस में जमा कराने बाबत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया नोटिस की तामील विधिवत रूप से व्यक्तिगत करवायी जाने पर भी अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और ना ही बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाने बाबत कोई युक्तिसंगत कारण न्यायालय में पेश किया है। अतः सचिव भूमि विकास बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सचिव भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की उपरोक्तानुसार वर्णित बैंक के रहन दर्ज कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के परिप्रेक्ष्य में संबंधित बैंक के पक्ष में अन्तरित की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

.....(2).....